लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च, 2016 को सांय 3.00 बजे प्रशासनिक भवन कुलपति कार्यालय में आहूत की गयी।

बैठक में निम्नवत् अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1.	**डा0 एस0 बी0 निमसे**	कुलपति	**अध्यक्ष**	उपस्थित
2.	प्रो0 यू0एन0 द्विवेदी	प्रतिकुलपति	सदस्य	उपस्थित
3.	श्री वीरेन्द्र नाथ,	अनुसचिव, उच्च शिक्षा उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	उपस्थित
4.	श्री ओ.पी. द्विवेदी,	विशेष सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	उपस्थित
5.	श्री एस.के शुक्ला,	प्रभारी कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक	सदस्य	उपस्थित
6.	श्री रत्नेश्वर भारती	कृते वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य	उपस्थित

कार्यवृत्त

बिन्दु संख्या–01

समिति द्वारा वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 12 जनवरी, 2016 की अनुपालन आख्या पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–2017 हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आयोजनेत्तर, आयोजनागत, स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों एवं कला एवं शिल्प महाविद्यालय के वार्षिक आय–व्ययक पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदन प्रदान किया जाना।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2016–2017 हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आयोजनेत्तर, आयोजनागत, स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों एवं कला एवं शिल्प महाविद्यालय के वार्षिक आय–व्ययक पर अनुमोदन प्रदान किया गया । समिति द्वारा यह भी व्यवस्था दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 से जिन मदों में शासन द्वारा अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किया गया है उसे पुनरीक्षित बजट में यथा स्थान शामिल कर लिया जाए।

बिन्दु संख्या–03

समिति द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी धुलाई प्रतिमाह रू0 20/– से रू0 40/–एवं वाहन चालक को रू0 30/– से बढ़ाकर रू0 60/– किये जाने विषयक संलग्न शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2014 पर विचार–विमर्श कर अनुमोदन प्रदान किया जाना।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूँकि प्रस्ताव के साथ संलग्न शासनादेश कार्मिक विभाग के प्रशिक्षण समन्वयक प्रकोष्ठ के सम्बन्ध में है अतः इस सम्बन्ध में सामान्य शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाए।

बिन्दु संख्या–04

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में स्थानीय वाह्य परीक्षकों को प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा कार्य हेतु मार्ग व्यय दिये जा रहे रू0 100/– से बढ़ाकर रू0 500/– दिये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करते हुए रू0 100/– से बढ़ाकर रू0 300/– किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–05

कम्प्यूटर साईंस विभाग में पूर्व से कार्यरत डा0 राजेश कुमार गौतम, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा नियत वेतन) को शासनादेश संख्या 602/सत्तर–4–2015–2012/2014 दिनांक 15 जुलाई, 2015 के कम में वित्त समिति की बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2015 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 21 जुलाई, 2015 में लिए गये निर्णय के अनुरूप नियत वेतन रू0 25,000/–प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 30,000/– प्रतिमाह किये जाने पर विचार–विमर्श किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से रू0 25000/– मासिक से बढ़ाकर रू0 30000/– मासिक किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।)

बिन्दु संख्या–06

पत्रकारिता विभाग में पूर्व से कार्यरत श्री पिन्टू जार्डर तथा सुरभि यादव, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा नियत वेतन) को शासनादेश संख्या 602/सत्तर–4–2015–2012/2014 दिनांक 15 जुलाई, 2015 के कम में वित्त समिति की बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2015 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 21 जुलाई, 2015 में लिए गये निर्णय के अनुरूप नियत वेतन रू0 25,000/–प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 30,000/– प्रतिमाह किये जाने पर विचार–विमर्श किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से रू0 25000/– मासिक से बढ़ाकर रू0 30000/– मासिक किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।)

बिन्दु संख्या–07

शासनादेश संख्या जी.–2–175/दस–2011–601/2011 वित्त सामान्य अनुभाग–2 दिनांक 31 मार्च, 2011 की व्यवस्था के अनुसार सड़क मील भत्ता दिये जाने पर विचार–विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से शासनादेश में दी गयी व्यवस्था को अंगीकृत करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–08

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत की गयी अद्यतन आडिट रिर्पोट वर्ष 2013–14 पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदन प्रदान किया जाना ।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महालेखाकार की आडिट रिर्पोट वर्ष 2013–14 का अनुपालन आख्या महालेखाकार को अविलम्ब प्रेषित किया जाए तथा आसमायोजि अग्रिमों के लिए कार्य योजना बनाकर समायोजन कार्यवाही पूर्ण की जाए।

बिन्दु संख्या–09

समिति द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा तैयार किये गये वित्तीय वर्ष 2014–15 के आर्थिक चिट्ठे पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदन प्रदान किया जाना।

विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा 2014–15 के आर्थिक चिट्ठे पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–10

समिति द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जे.ई.ई.बी.एड. 2016–18 प्रवेश परीक्षा के आय–व्ययक पर विचार–विमर्श कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से जे.ई.ई.बी.एड. 2016–18 प्रवेश परीक्षा के आय–व्ययक पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की सहमति से।

अन्य बिन्दु संख्या–1

कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को जे.ई.ई.बी.एड. 2010 की आय के अवशेष बचत की धनराशि से चिकित्सा सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु 'कारपस फण्ड' सृजित किये जाने एवं कारपस फण्ड से अर्जित ब्याज से चिकित्सा सुविधा अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर अनुमोदन प्रदान किया जाना।

समिति द्वारा विचारोंपरान्त जे.ई.ई.बी.एड. 2010 की आय के अवशेष बचत की धनराशि से रू0 5 करोड़ का कारपस फण्ड सृजित किये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति द्वारा यह भी व्यवस्था दिया गया कि इस हेतु नियमावली बनाकर तदनुसार कार्यवाही की जाए।

अन्य बिन्दु संख्या–2

कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों से प्राप्त सत्यापन विषयक प्रकरणों , जिन पर दिनांक 14.08.2015 तक कार्यवाही नही हो पायी थी उन पर भी वित्त समिति दिनांक 14.08.2015 के बिन्दु संख्या –3 के अनुसार कोई सत्यापन शुल्क नही लिया जाए तथा राज्य सरकारों/सी.बी.आई./सी.बी.सी.आई.डी. विजलेंस जॉच आदि के विषयों में प्राप्त होने वाले सत्यापन प्रकरणों में कुलपति की अनुमति से शिथिल किया जा सकेगा, एत्द हेतु कुलपति जी को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा विचारोंपरान्त कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु सं-1 को छोड़कर अन्य से सहमत

(वीरेन्द्र नाथ) अनुसचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन	(ओ.पी. द्विवेदी) विशेष सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन	(रत्नेश्वर भारती) कृते वित्त अधिकारी
(एस. के शुक्ल) प्रभारी कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक	(प्रो0 यू.एन. द्विवेदी) प्रति–कुलपति	(डा0 एस.बी. निमसे) कुलपति